


57

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ज्वा लियर सर्किट कोर्ट रोवा जि रोवा म



RS094-II/16

R201-

केठना दा हिया तनयश्री जगतधरो दा हिया, उम्र 75 साल निवासी ग्राम -  
कुटेडा, तहसील बिर सिंदपुर जिला सतना म.प्र.

----- निगरानी कर्ता

~~श्री अजय पाठक~~  
द्वारा आज दिनांक 17-2-16-  
प्रस्तुत किया गया

व नाम

श्रीहर  
सर्किट कोर्ट रोवा - महावीर प्रसाद तनय श्री जागेश्वर प्रसाद दा हिया

2:- केदार प्रसाद दा हिया तनयश्री जागेश्वर प्रसाद दा हिया

3:- फूलमती पत्नी स्व. श्री महिमन दा हिया ।

4:- अंकित दा हिया तनय स्व. श्री महिमन दा हिया.

5:- गरिव दा हिया तनय स्व. श्री महिमन दा हिया, उम्र 16 साल नावा ति  
द्वारा बली सरपरस्त मां, फूलमती दा हिया, सभी नि. ग्राम कुटेडा तह  
बिर सिंदपुर जिला सतना म.प्र.

6:- काली § तीनु के पिता जागेश्वर कोठवार सभी निवसती ग्राम कुटेडा

7:- रामवती § तहसील बिर सिंदपुर जिला सतना म.प्र.

8:- सर स्व तिया §

----- गैर निगरानी कर्ता ग

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार महोदय, तहसील  
बिर सिंदपुर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक-  
3370/14-06 2015 मे पारित आदेश पत्रिक  
दिनांक - 23 12 2015

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म.प्र. भू-राज  
संहिता सन् 1959 ईसवी


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5094-II/16

जिला-सतना

केठना दाहिया/महावीर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M